


**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**
वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

6 फरवरी 2026

**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेशन/हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)**

दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7702/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है:

क्र.सं	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1	बिहार ग्रामीण बैंक
2	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक
3	वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक

2. इसके अलावा, दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7703/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित सात पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है:

क्र.सं	पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
2	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
3	जे एंड के ग्रामीण बैंक
4	एलाकी देहाती बैंक
5	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
6	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(ब्रिज राज)